

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 02/01/2017

संख्या-2/एम०-28/16- /स्वा०, डा० राजेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1498(2) दिनांक-5.10.16 द्वारा गार्डिनर रोड, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में की गयी प्रतिनियुक्ति को तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया जाता है, तथा डा० सिन्हा को निदेश दिया जाता है कि अपने पूर्व पदस्थापित स्थान अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर शीघ्र योगदान करें।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/एम०-28/16- 01 (2)

पटना, दिनांक 02/01/2017

प्रतिलिपि, सिविल सर्जन, पटना/अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/डा० राजेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव